ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा संख्या–08/2024
ा प्रविष्टि दिनांक–02.02.2024
दिनांक–08.01.2025

ूलाल पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
जकरण पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
रन्ती पुत्री हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
ान्ती पुत्री हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

ीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 59 रकबा 1.2392 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा, पटवार हल्का प्यावडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के नाम जब उक्त भूमि विरासत से नाम लगी तो प्रार्थीगण ते नाम राजाराम, सूरजनारायण, मघू, उगन्ता अंकित कर दिये गये। जबकि प्रार्थीगण के सही नाम न पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान, उगन्ती पुत्री हनुमान थे। लेकिन राजस्व ियो द्वारा प्रार्थीगण के बोलते नाम राजाराम पुत्र हनुमान दर्ज कर दिये गये, जो गलत है। उक्त त्रुटी ा एक लिपिकीय त्रुटी है। जबकि प्रार्थीगण के सम्पूर्ण आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजो में नाम राजूलाल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान, उगन्ती पुत्री हनुमान है। अतः र्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण नाम के स्थान पर प्रार्थीगण के सही नाम दुरूस्त किया ावश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी दार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर किया की ग्राम फजलपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या 297 ा पुत्री हनुमान हि. 1/5, नोरती पत्नि हनुमान हि. 1/5, मघू पुत्री हनुमान हि. 1/5, राजाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

हि. 1/5, रामनारायण पुत्र हनुमान हि. 1/5 जाति मीना सा.देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ग्राम पुरा के नामान्तकरण संख्या 1003 दिनांक 13.11.2014 (विरासत) से हनुमान पुत्र प्रताबा के बजाय रायण, राजाराम पि0 हनुमान, उगन्ता, मधु पुत्रियां हनुमान, नोरती धर्मपत्नि स्व. हनुमान हि0 जमाबंदी र कोम मीणा दर्ज होकर नामान्तकरण स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज आधार कार्ड, ग्राम प्यावडी का प्रमाण पत्र, स्वयं का शपथ पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड में राजूलाल पुत्र हनुमान, सूरजकरण नुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान व उगन्ती देवी पुत्री हनुमान नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का वास्तविक नाम ल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान व उगन्ती पुत्री हनुमान है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 18/1059 रकबा 1.2392 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा, पटवार हल्का प्यावडी तह0 पीपलू जिला टोंक मे है। जिसके प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के नाम जब उक्त भूमि विरासत से नाम लगी तो ग के बोलते नाम राजाराम, सूरजनारायण, मधू, उगन्ता अंकित कर दिये गये। जबकि प्रार्थीगण के सही नाम ल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान, उगन्ती पुत्री हनुमान थे। लेकिन राजस्व रियो द्वारा प्रार्थीगण के बोलते नाम राजाराम पुत्र हनुमान दर्ज कर दिये गये, जो गलत है। उक्त त्रुटी य एक लिपिकीय त्रुटी है। जबकि प्रार्थीगण के सम्पूर्ण आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजो मे नाम राजूलाल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान, उगन्ती पुत्री हनुमान है। अतः र्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण नाम के स्थान पर प्रार्थीगण के सही नाम दुरूस्त किया

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की ग्राम फजलपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 7 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या 297 में उगन्ता पुत्री हनुमान हि. 1/5, नोरती पत्नि हनुमान हि. धू पुत्री हनुमान हि. 1/5, राजाराम पुत्र हनुमान हि. 1/5, रामनारायण पुत्र हनुमान हि. 1/5 जाति मीना खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ग्राम फजलपुरा के नामान्तकरण संख्या 1003 दिनांक 13.11.2014 त) से हनुमान पुत्र प्रताबा के बजाय सुरजनारायण, राजाराम पि0 हनुमान, उगन्ता, मधु पुत्रियां हनुमान, धर्मपत्नि स्व. हनुमान हि0 जमाबंदी अनुसार कोम मीणा दर्ज होकर नामान्तकरण स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा किये गये दस्तावेज आधार कार्ड, ग्राम पंचायत प्यावडी का प्रमाण पत्र, स्वयं का शपथ पत्र, पहचान पत्र, कार्ड में राजूलाल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान व उगन्ती देवी पुत्री हनुमान र्ज है। प्रार्थीगण का वास्तविक नाम राजूलाल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान व पुत्री हनुमान है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा साक्ष्य शपथ पत्र प्रार्थीगण स्वयं, प्रार्थीगण के कार्ड, प्रार्थीगण के जन आधार कार्ड, प्रार्थीगण के राशन कार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत प्यावडी, साक्ष्य त्र नोरती पत्नि हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम फजलपुरा तह0 पीपलू, संलग्न मौका पर्चा व तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

...ु द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट
...ि प्रार्थीगण का शुद्ध नाम राजूलाल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान व उगन्ती पुत्री
...न समस्त जाति मीणा है। जबकि भूमि आराजी ख0न0 18/1059 रकबा 1.2392 हैक्ट. वाके ग्राम फजलपुरा,
...र हल्का प्यावडी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम राजाराम पुत्र हनुमान, सूरजनारायण पुत्र हनुमान,
...ुत्री हनुमान, उगन्ता पुत्री हनुमान हि0 जमाबंदी अनुसार कोम मीणा हि0 जमाबंदी अनुसार कोम मीणा दर्ज
...ई है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **राजाराम पुत्र**
...न, सूरजनारायण पुत्र हनुमान, मधु पुत्री हनुमान, उगन्ता पुत्री हनुमान हि0 जमाबंदी अनुसार कोम
...के स्थान पर **क्रमशः राजूलाल पुत्र हनुमान, सूरजकरण पुत्र हनुमान, फोरन्ती पुत्री हनुमान, उगन्ती**
हनुमान हि0 जमाबंदी अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.01.
... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम
...ं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अनिता कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner